



आरबीआई द्वारा
विनियमित संस्थाओं
(आरई)* के विरुद्ध
अपनी शिकायतों के
निवारण के लिए
इन चरणों का
पालन करें



1
सबसे पहले
आरई के पास अपनी
शिकायत दर्ज कराएं

2
पावती/संदर्भ
संख्या प्राप्त करें

3
यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका
कोई निवारण नहीं किया जाता है या
आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं,
तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल
(cms.rbi.org.in) पर या सीआरपीसी** को
डाक द्वारा भेजकर आरबीआई लोकपाल के
पास अपनी शिकायत दर्ज
कर सकते हैं



आरबीआई लोकपाल से सीधे शिकायत दर्ज करने पर वह अस्वीकृत हो सकती है.



अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/ios> पर विजिट करें
फ़ीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें

*बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट, क्रेडिट सूचना कंपनियां.

**सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.



जनहित में जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in



बिहार सरकार

संदेश

दिव्यांगजनों के समान अवसर तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को "अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस" मनाया जाता है। इस दिवस का मूल उद्देश्य दिव्यांगजनों के बीच समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता उत्पन्न करना है। सामाजिक उत्थान में दिव्यांगजनों की भूमिका सराहनीय है। वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा पुनर्वास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का वितरण, बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का वितरण, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण, विशेष विद्यालय का संचालन, बाधामुक्त वातावरण एवं परिसर का निर्माण आदि के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं।

"अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस" के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि दैनिक जीवन में दिव्यांगजनों के प्रति अपने हृदय में सर्वदा समुचित आदर, सहयोग एवं प्रेम-भाव रखेंगे तथा दिव्यांगजनों के लिए अपने अपेक्षित दायित्वों का पालन करेंगे।

(मदन सहनी)

मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार



बिहार सरकार

संदेश

मुख्यमंत्री
बिहार

दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर वर्ष 3 दिसम्बर को सम्पूर्ण विश्व में "अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

वर्तमान में राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चला रही है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके लिए कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरण तथा विशेष विद्यालय जैसी कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं। साथ ही राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने वाली आधारभूत सुविधाओं पर सक्रियता से काम कर रही है ताकि उनके लिए समानता और पहुँच के अवसर उपलब्ध हो सकें।

"अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस" के अवसर पर मैं दिव्यांगजनों के उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आइए, अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं समाज में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम सभी संकल्प लें।

(नीतीश कुमार)

